

मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग,
1-रेसीडेन्सी एरिया, इन्दौर (म.प्र.)



**MADHYA PRADESH PUBLIC
SERVICE COMMISSION, 1-
RESIDENCY AREA, INDORE (M.P.)**

STATE ELIGIBILITY TEST-2025 E-Admit Card / राज्य पात्रता परीक्षा-2025 ई- प्रवेश पत्र

Roll Number/ अनुक्रमांक	326864	Application Number / आवेदन क्रमांक	SET252611267621	 <i>Karunambe</i>
Candidate's Name/ अभ्यर्थी का नाम	KARUNA TOMPE	Father's Name / पिता का नाम	BABURAO TOMPE	
Gender /लिंग	Female	Date of Birth/ जन्म तिथि	13/09/1977	
Category/ श्रेणी	UR	Scribe required सह-लेखक की आवश्यकता	No	Candidate's Signature/ अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
Candidate with Disability दिव्यांगजन	NO	Candidate's Address अभ्यर्थी का पता	WARD NO. 25, AZAD WARD, MARDIKAR GALI, BALAGHAT. BALAGHAT MADHYA PRADESH 481001	

Test Details

Test Centre Number And Name / केन्द्र का क्रमांक एवं नाम	4/38 Shriram Institute of Technology Near I.T.I. Madhotal, Karmeta, Jabalpur (M.P.)				
प्रथम प्रश्न पत्र- (अनिवार्य /Compulsory)	General Paper on Teaching and Research Aptitude सामान्य प्रश्न पत्र- शिक्षण एवं शोध अभिवृत्ति	Time/ समय दोपहर 12:00 बजे से 3:00 बजे तक			
द्वितीय प्रश्न पत्र- (ऐच्छिक विषय Optional Subject)	English				
Date of Examination/ परीक्षा की तिथि	01.03.2026				
Reporting/Entry Time at Centre/ केन्द्र पर उपस्थिति एवं प्रवेश का समय	प्रातः 11:15 बजे से 11:55 बजे तक				

कृपया महत्वपूर्ण निर्देश अगले पृष्ठ भाग पर देखें।

परीक्षा नियंत्रक
राज्य पात्रता परीक्षा-2025

अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण निर्देश

1. परीक्षा केन्द्र में परीक्षार्थी अपने साथ केवल ई-प्रवेश पत्र, काली स्थायी के बॉल पॉइंट पेन, पारदर्शी पानी की बोतल, आवश्यक दवाइयां तथा निम्नांकित में से कोई एक मान्य मूल फोटो युक्त पहचान-पत्र अवश्य लाए। बिना मान्य पहचान-पत्र के परीक्षा-कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। (मान्य पहचान पत्र- 1. मतदाता परिचय पत्र, 2. आधार कार्ड, 3. पेनकार्ड, 4. केन्द्र शासन/राज्य शासन/सार्वजनिक क्षेत्र के उपकरण/स्थानीय निकाय/अन्य नियोक्ताओं द्वारा जारी फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, 5. पासपोर्ट, 6. फोटोयुक्त बैंक पासबुक, 7. शिक्षण संस्थाओं में अध्ययनरत परीक्षार्थियों के मामलों में शिक्षण संस्था के प्रमुख द्वारा जारी फोटो पहचान पत्र, 8. ड्राइविंग लाइसेंस, 9. राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित नवीनतम फोटोयुक्त परिचय पत्र)।
2. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों की परीक्षा पूर्व सघन जांच की जाएगी। परीक्षा में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का उपयोग रोकने के लिए परीक्षा-कक्ष में जूते-मोजे पहनकर प्रवेश वर्जित होगा। अभ्यर्थी चप्पल व सैडल पहनकर आ सकते हैं। चेहरे को ढककर परीक्षा-कक्ष में प्रवेश वर्जित होगा। आयोग द्वारा वर्जित वस्तुएं जैसे- पेसिल, रबर (इरेजर), व्हाइटनर, शॉर्पनर, ब्लॉड, स्केल, बैस, मोबाइल फोन, पेनड्राइव, कैल्क्युलेटर, पठन सामग्री, चाबी तथा एसेसरीज जैसे- बातों को बांधने का क्लाचर/बक्कल, घड़ी, हाथ में पहने जाने वाले चश्मे, पर्स/वॉलेट, टोपी, ब्लूटूथ, हैंडफ्री, आई.टी. गैजेट्स, कोई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण या अन्य कोई ऐसे उपकरण जो संचार उपकरण के रूप में उपयोग किए जाते हैं, लाइट्स/मार्चिस बॉक्स, किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र तथा अन्य कोई कीमती समान परीक्षा केन्द्र में लाना वर्जित है। किसी भी प्रकार की वर्जित वस्तुएं अथवा संचार उपकरण होने पर अनुचित साधन के प्रयोग (UFM) का प्रकरण दर्ज किया जाएगा।
3. अभ्यर्थी परीक्षा के निर्धारित समय से एक घंटे पूर्व परीक्षा केंद्र पर पहुंचे। परीक्षा कक्ष में प्रातः 11:15 बजे से प्रवेश प्रारंभ होने के 5 मिनट पूर्व परीक्षा केन्द्र का मुख्य द्वार बंद हो जाएगा। इसके पश्चात परीक्षा कक्ष में प्रवेश वर्जित रहेगा।
4. अभ्यर्थी परीक्षा-कक्ष में उपस्थित-पत्र कर हस्ताक्षर करेंगे एवं निर्धारित स्थान पर अपने बाएं हाथ के अंगूठे का अथवा बाएं हाथ का अंगूठा न होने पर दाएं हाथ के अंगूठे के निशान अवश्य लगाएंगे।
5. यह पात्रता परीक्षा मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा राज्य पात्रता परीक्षा- 2025 के विज्ञापन क्रमांक 01/सेट/2025, दिनांक 15-10-2025 तथा इससे संबंधित जारी शुद्धिपत्रों के अंतर्गत संपादित की जाएगी।
6. अपने प्रवेश-पत्र की सुरक्षा के लिए आप स्वयं जिम्मेदार हैं तथा अभ्यर्थी प्रवेश-पत्र की एक प्रति स्वयं अपने पास सुरक्षित रखें। यदि किसी अन्य व्यक्ति द्वारा परीक्षा में प्रवेश-पत्र का उपयोग किया जाता है, तो यह सिद्ध करने का दायित्व आपका होगा कि आपने अन्य व्यक्ति की सहायता नहीं ली है।
7. परीक्षा में आपकी पात्रता सर्वथा प्रावधिक है। परिणाम के पश्चात किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने आयोग से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है तो आपकी पात्रता समाप्त की जाएगी।
8. परीक्षा-कक्ष में निर्धारित अनुक्रमांक (रोल नंबर) पर ही बैठे। प्रवेश पत्र पर अंकित अनुक्रमांक को ही ओ.एम.आर. शीट के निर्धारित स्थान पर लिखें तथा संबंधित गोले को भरें।
9. प्रश्न-पत्र वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे तथा परीक्षा ऑफलाइन पद्धति से ओ.एम.आर. शीट आधारित होगी।
10. प्रश्न-पत्र में किसी भी प्रकार के निशान लगाना व लिखना वर्जित है। रफ कार्य के लिए नियत स्थान का उपयोग करें।
11. ओ.एम.आर. शीट में प्रश्न-पत्र के सभी गोले को ध्यान से भरें। गोला न भरने पर मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। समस्त कार्य केवल काले डॉट पेन से ही करें।
12. ओ.एम.आर. शीट पर निर्धारित स्थान पर हस्ताक्षर अवश्य करें। ओ.एम.आर. शीट पर पेन्सिल, इरेजर एवं व्हाइटनर का प्रयोग पूर्णतः प्रतिबंधित है। ये वस्तुएं अभ्यर्थी के पास पाए जाने पर अनुचित साधन का प्रकरण दर्ज किया जाएगा।
13. **गणितीय विज्ञान (Mathematical Sciences) विषय के लिए विशेष निर्देश-** ऐच्छिक विषय गणितीय विज्ञान कोड-18 के परीक्षार्थियों को कुल 100 प्रश्न हल करना है। प्रश्न पत्र में तीन भाग हैं। प्रथम भाग में 51 से 60 के क्रम में 10 प्रश्न हैं। द्वितीय भाग में 61 से 150 के क्रम में 90 प्रश्न हैं। तृतीय भाग में भी 61 से 150 के क्रम में 90 प्रश्न हैं। गणित विषय के परीक्षार्थी भाग 1 व 2 एवं सांख्यिकी विषय के परीक्षार्थी भाग 1 व 3 हल करें।
14. **संगीत (Music) विषय के लिए विशेष निर्देश-** ऐच्छिक विषय संगीत कोड-19 के परीक्षार्थियों को कुल 100 प्रश्न हल करना है। इस प्रश्न पत्र में तीन भाग हैं। प्रथम भाग में 51 से 90 के क्रम में 40 प्रश्न हैं। द्वितीय भाग में 91 से 150 के क्रम में 60 प्रश्न हैं। तृतीय भाग में भी 91 से 150 के क्रम में 60 प्रश्न हैं। संगीत विषय के परीक्षार्थी भाग 1 व 2 तथा अनुनन्द वाद्य के परीक्षार्थी भाग 1 व 3 हल करें।
15. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरुद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा-हॉल/कक्ष से निष्कासित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में आयोग द्वारा जारी विज्ञापन में दर्शित अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।
16. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र की जांच/मिलान स्वयं के अॅनलाइन आवेदन पत्र से कर लें, उसमें कोई विसंगति हो तो परीक्षा नियंत्रक, राज्य पात्रता परीक्षा 2025, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इन्दौर को तुरन्त सूचित करें।
17. जिन अभ्यर्थियों के अॅनलाइन आवेदन पत्र के अनुसार अॅनलाइन प्रवेश पत्र में उनके फोटो तथा हस्ताक्षर स्पष्ट नहीं हैं या अनुपलब्ध हैं, ऐसे अभ्यर्थी परीक्षा आयोजन दिवस के एक कार्य दिवस पर पूर्व आवंटित परीक्षा केन्द्र के केन्द्राध्यक्ष के समक्ष अनिवार्यतः उपस्थित होकर (उक्त प्रक्रिया परीक्षा दिवस को नहीं की जाएगी) निम्न प्रक्रिया का अनुसरण करें-
(अ) अपने अॅनलाइन प्रवेश पत्र पर विवित स्थान पर अपना फोटो विपक्कार उसके नीचे अपने हस्ताक्षर करें तथा फोटो अंवित परीक्षा केन्द्राध्यक्ष से अनिवार्य रूप से प्रमाणित कराएं।
(ब) अपनी फोटो की एक प्रति साथ ले जाएं उक्त फोटो के पीछे अपना नाम, एप्लिकेशन नम्बर एवं रोल नम्बर अंकित कर, आगामी कार्यवाही हेतु परीक्षा केन्द्राध्यक्ष/वीक्षक को प्रस्तुत करें।
(स) अपने साथ अपने आवेदन-पत्र की रसीद की प्रति (जो फॉर्म जमा करते समय प्राप्त हुई थी) ले जाएं तथा आगामी कार्यवाही हेतु परीक्षा केन्द्राध्यक्ष/वीक्षक को प्रस्तुत करें।
18. प्रश्न-पत्र में किसी भी प्रकार की त्रुटि होने पर अभ्यर्थी अपनी आपत्ति, निर्देशित अवधि में सशुल्क आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध लिंक के माध्यम से केवल अॅनलाइन प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित अवधि के पश्चात प्रश्न-पत्र संबंधित अभ्यावेदनों पर आयोग द्वारा किसी प्रकार से विचार नहीं किया जाएगा, न ही पत्राचार किया जाएगा।
19. परीक्षा परिणाम केवल आयोग की वेबसाइट पर ही उपलब्ध होगे। अतः परीक्षा परिणाम तथा अन्य जानकारी हेतु मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग की वेबसाइट www.mppsc.mp.gov.in का ही अवलोकन करें।
20. अभ्यर्थी द्वारा प्रवेश-पत्र में किसी भी प्रकार का परिवर्तन करना अपराध की श्रेणी में आता है।
21. सभी अभ्यर्थी स्वास्थ्य विभाग एवं स्थानीय जिला प्रशासन द्वारा संक्रामक रोगों के संबंध में यथा समय जारी दिशा-निर्देश (एडवायरिजरी) का अवलोकन कर परीक्षा केन्द्र में उपस्थिति के समय पूर्णकालिक रूप से गाइड-लाइन का पालन सुनिश्चित करेंगे। स्वयं के तथा अन्य अभ्यर्थियों के स्वास्थ्य हेतु आपका सहयोग अपेक्षित है।
22. ऐसे दिव्यांगजन अभ्यर्थियों जिन्हें परीक्षा हेतु सह-लेखक की पात्रता है। वे अभ्यर्थी सहलेखक की अनुमति हेतु केन्द्राध्यक्ष से परीक्षा तिथि से एक दिन पूर्व आवश्यक प्रमाण-पत्र प्रस्तुत कर घोषणा-पत्र भरकर अनुमति प्राप्त करें। दिव्यांगजन परीक्षार्थी के सह-लेखक की योग्यता सातकोत्तर से कम होनी चाहिए। सह-लेखक लेने की स्थिति में कुल 60 मिनिट का अतिरिक्त समय दिया जाएगा।
23. यह पात्रता परीक्षा है। अतः किसी भी अभ्यर्थी को यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी।
24. आयोग से परीक्षा संबंधित पत्र व्यवहार/सूचना का अधिकार के अंतर्गत चाही गई जानकारी के लिए प्रवेश-पत्र की स्वप्रमाणित प्रति संलग्न करना आवश्यक है।


परीक्षा नियंत्रक
राज्य पात्रता परीक्षा-2025